उद्योग संचालनालय,
सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग,
(स्टार्टअप–इन्क्यूबेशन सेल)

कमांक : उआ/एसआईसेल/2017–18/54 भोपाल, दिनांक 11-4-18

स्टार्टअप सीड फण्डिंग उपलब्ध कराने हेतु दिशा–निर्देश

म.प्र. में स्टार्टअप को अधिकाधिक सुविधाजनक वातावरण प्राप्त हो तथा प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग लगातार प्रयासरत है । इन प्रयासों के अन्तर्गत **"मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016"** के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु **"मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम 2016"**, जारी की गई।

भारत शासन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रदेशों में स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप रेंकिंग फ्रेम वर्क 2018 जारी करते हुए, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे स्टार्टअप हेतु विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करेंगे । इस तारतम्य में प्रदेश के स्टार्टअप हेतु सीड फण्डिंग उपलब्ध कराने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. **उद्देश्य –**

1.1 स्टार्टअप हेतु उपलब्ध कराए जाने वाला सीड फण्ड किसी स्टार्टअप को नवीन विचार/प्रौद्योगिकी एवं इनोवेशन से प्रारम्भ कर उस अवस्था तक सहायता प्रदान करने हेतु उपलब्ध होगा, जब तक कि स्टार्टअप स्वयं किसी एंजल फण्ड, वेन्चर केपीटल या किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लोन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ जाते ।

1.2 स्टार्टअप को सीड फण्ड प्राथमिक रूप से प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट, उत्पाद के विकास, टेस्टिंग एव ट्रायल टेस्ट मार्केटिंग, मेन्टरिंग, व्यवसायिक सलाह, पेटेन्ट इत्यादि के लिए उपलब्ध होगा ।

2. **सीड फण्ड एजेन्सीज –**

2.1 स्टार्टअप हेतु सीड फण्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन, राज्य शासन के उपक्रम, निजी वित्तीय संस्था, अशासकीय संस्थाएं, निजी क्षेत्र में एवं शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत इन्क्यूबेशन सेन्टर इत्यादि कार्य कर सकेंगे ।

2.2 इस हेतु वे अपनी स्वयं की सीड फण्डिंग नीति निर्धारित कर उसका समुचित प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करेंगे जिससे कि प्रदेश के स्टार्टअप को सीड फण्ड प्राप्त करने में सुविधा हो। यह नीति सीड फण्ड एजेन्सी द्वारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाई जाएगी ।

2.3 उपलब्ध कराए गए सीड फण्ड का विवरण सीड फण्ड एजेन्सी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगी ।

2.4 सीड फण्ड के मेनेजमेन्ट हेतु सीड फण्ड उपलब्ध कराने वाले एजेन्सी सीड फण्ड मेनेजमेन्ट कमेटी बना सकेगी ।

3 **सीड फण्ड निम्न कार्य हेतु उपलब्ध होगा :–**

उत्पाद का विकास

उत्पाद का टेस्टिंग और ट्रायल

उत्पाद का टेस्ट मार्केटिंग
मेन्टिरिंग
पेशेवर/व्यवसायिक परामर्श
आई.पी.आर. सम्बन्धी
दैनिक कार्य हेतु अमला

4. **सीड फण्ड की अधिकतम राशि**

किसी स्टार्टअप को उपलब्ध कराया जाने वाला सीड फण्ड स्टार्टअप की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए । इस राशि की सीमा प्रत्येक एजेन्सी अपने स्तर पर तय कर सकेगी ।

5. **सीड फण्ड की उपयोगिता का सफल मानक**

5.1 किसी स्टार्टअप द्वारा सीड फण्ड का पर्याप्त उपयोग किया गया अथवा नहीं, इसका निर्धारण सीड फण्ड उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी अपने स्तर पर तय की गई नीति के अनुसार कर सकेगी ।

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक : उआ/एसआईसेल/2017–18/54 भोपाल, दिनांक 11-4-18

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम/इलेक्ट्रानिक डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन/मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन/मध्य प्रदेश वेन्चर केपीटल फण्ड लि.
3. मध्य प्रदेश के इन्क्यूबेशन सेन्टर/शासकीय तकनीकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ।
4. आदेश नस्ती ।

(वी.सी. दुबे)
नोडल आफिसर,
स्टार्टअप/इन्क्यूबेशन सेल